देखकर ही अनुशंसा की है। इनमें वे सात जातियां शामिल हैं। जब अनुसूचित जाति में अन्य जातियों को शामिल करने पर विचार हो, तब उन जातियों को भी इसमें शामिल कर लें। महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। अगर इसका समाधान प्राइवेट मैम्बर बिल से नहीं होता है, तो मंत्री जी तथा सरकार स्वयं इस बिल को स्वीकार कर ले और इसको मान ले। यदि एक रुपता के लिए, समरुपता के लिए संविधान में जो सम्यक संशोधन हो सकता है, तो वह संशोधन करें, ताकि यदि कोई एक जाति किसी प्रदेश में अनुसूचित जाति है, तो उसको राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त हो सके। इसके साथ ही अनुच्छेद-340 के तहत जो जाति एक प्रदेश में अनुसूचित जाति है और दूसरे प्रदेश में वह पिछड़ा वर्ग में आती है, तो उसमें समरुपता लाई जाए, इस पर संशोधन लाने की कृपा करें। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं।

PAPERS LAID ON THE TABLE

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Hon. Members, Shri Pawan Kumar Bansal has requested that since he has other urgent business, on behalf of Shri P. Chidambaram, he may be permitted to lay the Papers on the Table just now.

Notification of the Ministry of Finance

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL) Sir, I lay on the table, under Section 159 of the Customs Act, 1962, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 80/2006-Customs, dated the 11th August, 2006, seeking to amend Notification No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002, so as to reduce customs duty on crude palm oil, crude palmolein and other fractions of crude palm oil from 80% to 70% and on Refined Bleached Deodorized palm oil, Refined Bleached Deodorized palmolein and other refined palm oils from 90% to 80%, together with an Explanatory Memorandum on the Notification.

[Placed in Library, *See* No. 4733/06.]

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2004

(AMENDMENT OF ARTICLES 341 AND 342) — (Contd.)

SHRI SHREEGOPAL VYAS: Sir, I rise to make a few comments on the observations made by our hon. colleagues. Somebody raised a question about Dr. Ambedkar. I want to remind Members that Dr. Ambedkar embraced

Buddhism and not Islam and Christianity, and there were reasons for it. Those who want to refute it can go through his life sketch and ponder as to why he did so. Let me also tell you what Shri Vivekananda had said, "I go to preach a religion of which Christianity is a distant echo and Buddism is a rebel child." You may rebel: no problem, but you honour the forefathers of this country; you honour the traditions of this county. That is what we believe in. I agree with you, Mandalji, that we should work for equality. We are all for equality. I do not know how you got an impression that we are against equality. We are all working for it, and hundreds and thousands of organisations working in this country, which are aligned with us, are working for the establishment of equality, removing untouchability in all. I perfectly agree with you that we should all work for it. I am sorry to learn from our people that there are Dalits amongst Muslims and Christians as well. I have a deep sympathy for them, and I do want them to work like the so-called Samaj Sudharaks, like, Dr. Ambedkar, to lead the community. Give them education; give them good training so that they come up to the mark. When I say I have no grudge against the pitiable conditions of the Dalit Muslims or Dalit Christians. I do want that they should also come up and be a part of this society. But then if they are calling their people to become Christians and Muslims because there is inequality in Hinduism, that is where I want say this. You preach, you call the people to embrace Christianity or Islam because Hindus have divisions. At the same time, you go on telling that 'we also have divisions'. Both things cannot go together. What I want to say is, let all of us, including Muslims and Christians declare that we belong to the traditions of Rama, Krishna, Buddha, Nanak and even Raskhan. I want the people to openly declare this. The country belongs to this tradition. Are we prepared to declare all this? I want to remind the people what Raskhan had said He said:

''मानुष हौं तो वही रसखान,
बसौं ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन।
जौ पसु हौं तो कहा बसु मेरो,
चरौं नित नंद की धेनु मंझारन।।
जो गिरि हौं तो वही गिरि को,
जो धरयो हरि छत्र पुरंदर कारन।
जो खग हौं तो बसेरो करौं,
मिलि कालिन्दी कूल कदम्ब की डारन।।''

Let us recall those great people. I want to inform the people because always some people come along and pass strictures on the RSS and the Vishwa Hindu Parishad. I belong to both of them. I want to tell the people, inform people that Raskhan is pronounced in the एकात्मता and प्रातः स्मरण of the RSS in every *Shakha* every day, because Raskhan embraced these traditions. I do agree with you that these people have not come from outside. Let them remember that they are the people of this soil, sons of this soil. Let them behave like the sons of the soil, and declare all these people as our grandfathers. If they do it, I am sure, all these problems will be solved.

Sir, I want to quote one more sentence from Pt. Jawaharlal Nehru's book, Glimpses of the World History. Pt. Jawaharlal Nehru had analysed the Hindu-Muslim problem in the letters written to Shrimati Indira Gandhi. Sir, through you, I want to tell the people, of course, they may be knowing. I am only reminding them. Pt. Jawaharlal Nehru had said 'that as long as Islam came here to preach Islam, there was no problem. But, when they came with a sword in their hands, the earlier feelings of goodwill turned into प्रतिहिंसा। This is what I want to remined the people. If you want to love this country, then, call yourselves sons of all these great people. If you do this. then, I am sure, all these problems will be solved. I had suggested not to treat anybody as a minority in this country. Actually, I believe that nobody is a minority in this country. You are 20 crores. How can you call yourselves a minority? I request our great Law Minister, the Government and the people of this country to think that there is nobody as a minority in our country. We are all sons of the soil, daughters of the soil, and we are proud of this soil. That is all. Thank you very much for having given me the opportunity to speak on this Bill.

SHRI URKHAO GWRA BRAHMA (Assam): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to speak on this Constitution Amendment Bill, 2004. Sir, the matter raised by hon. Member from Assam through this Bill is very complex and sensitive that needs practical approach to reach a conclusion. I am not rising here merely to support or oppose the Bill as other learned Memebrs of this august house have done. Rather, I would like to bring to light the different face of the problems relating to this Bill. Sir there is no second opinion that the issue raised by hon. Member needs to be redressed properly. It is a fact that a large number of people had been picked up by the British tea planters

about 150 years ago from the present Orissa, Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh and they are now popularly known as Adivasi in Assam. They have been categorized as Scheduled Tribes or the Scheduled Castes in their own earlier States including West Bengal, but same status is not accorded to them in Assam and they now enjoy status of Tea Tribe or Ex-Tea Tribe.

The condition of the Adivasi people in Assam is pitiable and special care has to be taken especially in the field of education, health and economy. I appreciate the genuineness of this Bill so far as the developments of those people are concerned. But before reaching to any conclusion, I feel it necessary to take into account the other aspects of the problems especially the condition of the existing Scheduled Tribes in Assam also. I request the hon. Members not to consider it as opposition to the Bill. But I am expressing some hard realities that are there in Assam. Sir, I am very much concerned about the question of survival of the existing tribal groups of Assam the population of which are already marginalized due to the reason of process of infiltration and addition of new population in their regions since long. At present, Assam has already around three million tribal population and if the new groups as proposed in the Bill are also included in Assam's S.T. list that will be addition of another millions population, which is more than the existing original tribal population. The entry of such huge population into the tribal group of the state may be serious concern for the small tribal groups, who are now enjoying reservations in politics and economic field. Further, in Assam there are three-scheduled areas under the Sixth Schedule of the Indian Constitution like Bodoland, Karbi-Anglong & N.C. Hills and four more District Council areas under State Act, As per the existing provision of the Constitution in Scheduled Areas tribals have the rights and tribals are entitled to enjoy the Political Rights and economic rights in all respects. And this provision has not been changed. These District Council Areas have been created aiming to protection and preservation of cultural identity, political rights and economic development of some specific tribes. At the time of creation of those Councils, in the law and in the amendment of the Constitution it was specifically mentioned that Karbi-Anglong will be for Karbi people, and the N.C. Hills Dimasa and the Bodoland Territory Council is mainly meant for the Bodo people. The question will remain as to how this amendment of the Article 341 and 342 of the Constitution as moved today

in the name of removal of constitutional discrimination will help the purpose of protection of interests of the original and minority tribal group of Assam, where this amendment will only marginalize their number and transfer the rights and privileges enjoyed now by them to new majority group. By this move such kind of situation will arise where one tribe will consider another tribe as a cause of problem in days to come. Sir, I strongly beleive that our Constitution makers, while framing the same, might have framed this article also after having examined all these factors thoroughly that the condition of the tribal varies from State to State and so, that needs to be dealt with in a separate manner depending upon their various conditions. That must be the reason as to why they had categorized the list of Scheduled Tribes in the state basis and also laid down some existing restrictions too in the Constituion so that tribe of one region does not become a problem for a tribe in the other region.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Hon. Member, please don't talk.

SHRI URKHAO GWRA BRHMA: It is significant to note that during the time of categorization of caste or community in Assam all the groups belonging to Mongoloid stock had only been categorized, as ST and others are either as SC or OBC. Sir, till today not much has been changed in this regard.

Sir, the frequent increase in the number of ST or SC after 58 years of our Independence also and despite all claims that the nation is emerging as an economic power in the world, is really a matter of concern. It shows the fact that majority section of our society is still not a part of nation's development process and still long way to achieve that position. Over 80 million tribal population of our country is still underprivileged. Not much has been done for their education, health, economy and social development. To bring about development in every aspect of their lives on par with the other developed society, a time-bound policy and action plan are the need of the hour.

Sir, once again I repeat my sincere concern for the problems of Adivasi people of Assam. They still need special care and a policy to look after their development aspect, including their constitutional status, is a must. The Government should try to explore all possible mechanism to distinguish

their status in Assam by way of constitutional amendment also keeping in view the rights, privileges and concerns of the existing tribal people in respect of their political and economic rights. Thank you, Sir.

सुश्री सुशीला तिरिया (उड़ीसा): सर, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ी हुई हूं। मैं समझती हूं कि यह बहुत पुराना बिल है। मैं 20 साल पहले जब इस पार्लियामेंट में सांसद थी, उस समय भी इस तरह के मुद्दे व आसाम के टी ट्राइब्स के बारे में लोक सभा और राज्य सभा में जिक्र होता रहा। सब से पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि ट्राइब्स के बारे में यह कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल एक बहुत सेंसटिव इश्यू है और एक लंबे समय से यह सेंसटिव इश्यू चला आ रहा है। इसलिए मेरा personal निवेदन है कि, सोशल जस्टिस मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर दोनों बैठे हैं, वे इस पुरानी बीमारी का, जो कि कैंसर की तरह चली आ रही है, इलाज करने में मदद करें। इसी में उन की कामयाबी है और इसी में सभी ट्राइबल्स का बेनेफिट है। सर, मैं आसाम के टी ट्राइबल्स के बारे में कहना चाहूंगी कि यह मुद्दा नहीं है कि वे वहां 100 साल पहले गए या 150 साल पहले गए। एक मुद्दा यह है कि इस देश में बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे रिजीजन हैं। शायद फिर भी किसी के पास समय नहीं है — न राजनीतिक नेताओं के पास है और न बुद्धिजीवियों के पास है। इसी कारण ट्राइबल्स के बारे में यह देश वाकयी ठीक से जान नहीं पाया है। सर, ट्राइबल्स किसे कहते हैं, यह बहुत बड़ी चीज है। ट्राइबल में किसी जाति का इंक्लूड होना, न होना अलग बात है, लेकिन सब से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि ट्राइबल किसे कहते हैं? इसे सिंपल थ्योरी में कहते हैं कि जो बहुत पुराने दिनों से रह रहे थे, उन को आदिवासी कहते हैं। जो बाद में आए, उन को आर्यन् कहते थे। फिर आदिवासी जंगल में भाग गए, प्लेन में आर्यन् समाज रह गया और सभ्य समाज बन गया। मैं कहना चाहूंगी कि चाहे जंगल में रहे या शहर में, चाहे हिंदुस्तान में रहे या abroad में, ट्राइबल अपने आप में एक identification है, ट्राइबल की अपने आप में एक identity है। ट्राइबल की मौजूदगी केवल उन की language में नहीं, उन के चाल-चलन, कल्चर, लाइफ स्टाइल व रहन-सहन में यह पता जरूर हो जाता है कि यह ट्रायबल है।

सर, मैं देश का ध्यान क्लास-1 आफिसर्स व क्रीमी पॉलिटीशियंस की तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगी। इस देश में जो क्लास-1 आफिसर्स हैं, चाहे आई॰ए॰एस॰/आई॰पी॰एस॰ हैं या पॉलिटीशियंस हैं, उन की भी अगर हम ठीक से रिसर्च करें तो देखते हैं कि वे संपूर्ण रूप से ट्रायबल कल्चर को छोड़ नहीं पाए हैं। भले ही वे रिजर्वेशन से क्लास-1 ऑफिसर हो जाते हैं, फिर भी बेसिकली वे ट्रायबल हैं। हम लोग उन के घर पर जाते हैं तो आई॰ए॰एस॰/आई॰पी॰एस॰ की तो no doubt कोई कास्ट नहीं रह जाती है, फिर भी कहीं-न-कहीं उन में ट्रायबल का reflection जरूर आता है। उन के घरों में, कल्चर में, ट्रेडीशन में वह दिखायी देता है।

सर, मैं उड़ीसा के उस इलाके से आती हूं, जहां मैं हमेशा कहती हूं कि ट्राइबल की अपने आप

में एक आइडेंटीफिकेशन होने के नाते, उन को अपने पर मान करना चाहिए कि मैं ट्रायबल हूं। अगर वह कहते हैं कि मैं ट्रायबल नहीं हूं, तो मैं नहीं समझती कि यह हकीकत है और ठीक है। सर, मैं पूरे देश की बात नहीं कहना चाहूंगी, जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं में किसी ने इस बिल का सपोर्ट किया और किसी ने विरोध किया, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन इस बिल का जो मूल तत्व है, उसी पर directly आना चाहूंगी। सर, आज उड़ीसा के जो ट्रायबल्स झारखंड में हैं, संथाल परगना पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में हैं और टी गार्डंस में हैं, वे अभी भी शादी करने वहीं आते हैं। अभी हमारे पहले वक्ता श्री संतोष बागड़ोदिया साहब ने बोला, उस के पहले आसाम के पूर्व स्पीकर ने भी चिट्ठी लिखी, डेलीगेशन भेजा और वे डेलीगेशन लेकर मिले भी थे। मैं यह कहना चाहूंगी कि असम के जो पूर्व स्पीकर हैं, वे अभी मंत्री हैं। उनकी बेटी का ब्याह अभी मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, मेरी constituency में हुआ। इसलिए मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके असम में ट्राइबल नहीं हैं? लेकिन वे लोग यह प्राउड फील करते हैं कि उनकी ओरिजिन उड़ीसा है। उनका जो ओरिजिन डिस्ट्रिक्ट है, राज्य हैं, वे लोग उधर शादी-ब्याह करना, रिश्ता रखना पसंद करते हैं। मैं यह कहना चाहूंगी कि कोई भी ट्राइबल हो या कास्ट हो, जिसको उड़ीसा में कास्ट और ट्राइबल का प्रिविलेज मिलता हो और जिनको कास्ट सर्टिफिकेट की availability होती हो, लेकिन टी गार्डन में उनको कास्ट सर्टिफिकेट तक available नहीं हो, उनके प्रति यह कौन-सा सोशल जस्टिस है? क्या हम इस लाइन में उनका कोई संवैधानिक डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं? इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगी कि कोई भी ट्राइबल कास्ट सर्टिफिकेट लेकर किसी भी राज्य में काम करने जाए या नौकरी करने जाए, तो यह जरूरी नहीं है कि वह उधर के ट्राइबल के इंटरेस्ट को क्लैश कर रहा है या उनके इंटरेस्ट को छीन रहा है। इतने नैरो माइंड होकर इस तरह से देश की बुनियाद को खराब करना नहीं चाहिए। इस तरह की भावना भी नहीं रखनी चाहिए। मैं यह समझती हूं कि आप तो ऊपर से उनको टी ट्राइब्स कहते हैं, चाहे वे लोग ट्राइबल के बेनेफिट लें या न लें, उनके पास ट्राइबल का सर्टिफिकेट हो या न हो। उनको आपने नाम दे दिया — टी ट्राइब्स। आप उनको ट्राइब्स तो मान रहे हैं। उनको किस आधार पर ट्राइब्स मान रहे हैं, कि उनकी ट्राइब्स की संस्कृति है, उनका रिलीजन ट्राइब्स का है, उनका रहन-सहन, शादी-ब्याह का सिस्टम ट्राइब्स का है। सर, मैं कहना चाहूंगी कि उनको टी ट्राइब्स कहने में और उनको अधिकार देने में क्या अन्तर है। सर, मैं टी ट्राइब्स के बारे में यह जरूर कहना चाहूंगी कि जब स्टेट गवर्नमेंट ने इसे पास किया और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। उधर जो ओरिजिनल ट्राइब्स हैं, ओरिजिनल ट्राइब्स जो भी marginalize की भावना से चल रहा है या चाहे राज्य सोच रहा है या कोई पार्टी सोच रही है या उधर के कुछ पोलिटिकल तत्व सोच रहे हैं, तो rather मैं यह कहना चाहूंगी कि उधर के जो ओरिजिनल ट्राइब्स हैं, इन लोगों के ट्राइब जाने में इकट्ठी ट्राइबल की ताकत बन जाती है, उनका socio-economical development हो सकता है, उन लोगों का और जल्दी से कल्चरल डेवलमेंट हो सकता है, जैसे जब इंदिरा जी

प्रधान मंत्री थीं, तो आई॰आर॰डी॰पी॰ और एन॰आर॰ई॰पी॰ की स्कीम के तहत पूरे देश में ट्राइबल के लिए लोन का प्रावधान दिया गया था। लेकिन उस समय ट्राइबल बेबस थे। ये लोग रीति-रिवाज को इतना जानते नहीं है, वे लोग उस लाईन में उतने माहिर नहीं हैं, उनको अभ्यास भी नहीं है और इतना जानते भी नहीं हैं। इसलिए वह स्कीम हंड्रेड परसेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। इसीलिए वे लोग ज्यादा-से-ज्यादा एग्रिकल्चरल लैंड और फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं।

अभी भी मैं कहना चाहूंगी कि शहरों में जहां-जहां पर कंस्ट्रक्टिव काम होते हैं, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में खेती, अनाज की पैदावार वही लोग करते हैं, जो बाहर से लेबरर तथा वर्कर आते हैं, और हो सकता है कि वे लोग ट्राइबल कास्ट के हों या अदर बैकवर्ड कास्ट के होंगे या पिछड़े वर्ग के लोग होंगे या बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग होंगे, वही जाते हैं। इस तरह से देश के कंस्ट्रक्शन का काम वही करते हैं, वर्कर के नाम से वही सप्लाई होते हैं, लेबर के नाम से जाकर वे ही काम करते हैं और जब उनका अपना हक मांगने का वक्त आता है, वे लोग माँगते हैं, तो हम उन लोगों को हक नहीं देते हैं। तो सर, हम यह कौन-सा सोशल जस्टिस उन लोगों के प्रति कर रहे हैं? सर, मैं आपसे केवल इस निवेदन के लिए खड़ी हूं।

सर, मैं ट्राइबल के बारे में जो बोलना चाहूँगी तो आप मुझे समय नहीं दे पाएँगे, क्योंकि ट्राइबल के बारे में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में कुछ प्रोफेसर ने रिसर्च भी कर रखा है कि जब हम ट्राइबल के रिलीज़न की बात कभी-कभी इस में कहते हैं, तो रिलीजन का टकराव होता है। सर, जो अनजान लोग होते हैं, कई बार रिलीज़न के नाम से टकराव करते हैं। सर, मैं चाय ट्राइबल होने के नाते ट्राइबल का मुद्दा रखना चाहूँगी। सर, कौन-सा ट्राइबल मंदिर या मस्जिद की बात करता है या धर्म की बात करता है, शायद कोई भी नहीं करता होगा। कोई भी ट्राइबल अभी तक मंदिर, मस्जिद या रिलीज़न के झगड़े में वन परसेंट भी नहीं पड़ता है। ट्राइबल को जबरदस्ती घसीट कर लड़ाई के अंदर लाना होता है। मैं कहना चाहूँगी कि ट्राइबल तो बेसिकली नेचर का पुजारी है, एनवायरनमेंट का पुजारी है, फॉरेस्ट का पुजारी है, पेड़-पौधों का पुजारी है, पत्थर की पूजा करता है। वह किसी मंदिर में नहीं जाता है और न ही कभी मंदिर की डिमांड नहीं करता है। जैसे अयोध्या में मंदिर बनने की बात हो या उड़ीसा में पुरी मंदिर की बात हो, ट्राइबल कभी किसी भी मंदिर, चर्च या मस्जिद की बात नहीं करता है। केवल एनवायरनमेंट की पूजा करना, उस पर विश्वास करना, उसी से फल की प्राप्ति होना है, ट्राइबल इसी में विश्वास करता है। उनका जो क्रिमेशन होता है, मैं कहना चाहूंगी कि उनका क्रीमेशन क्रिश्चियन्स की तरह होता है। हमारे यहां कुछ ट्राइबल की शादी मुसलमान की तरह होती है, कुछ ट्राइबल की शादी ईसाई की तरह होती है। इनकी शादी-ब्याह के रीति-रिवाज को अगर देखा जाए, तो आप देखें कि कौन सा धर्म वे मान रहे हैं? उन लोगों का अपना कौन सा

सोशल-रिवाज है? मैं कहना चाहूंगी कि उनका अपना ही कस्टमरी लॉ होता है। अपने ही उस कस्टमरी ला से वे लोग गाइडेड होते हैं। उन लोगों का सबसे बड़ा धर्म है उनका अपना कस्टमरी लॉ और गांव में जो मुखिया, प्रधान रहते हैं, उन्हीं को अपना सबसे ज्यादा बड़ा गुरूजन और गार्जियन मानना। यह सभी ट्राइबल कम्युनिटी लाइवलीहुड होने के नाते ज्यादा डिसिपिलिन होती हैं। उनके यहां महिलाओं के प्रति ज्यादा रेस्पेक्ट होता है और परिवार में महिलाएं परिवार को गाइड करती हैं। यह उनका तत्व है। डिसिप्लिन लाइफ में इकट्ठे रहना, गांव में मुखिया को मानना और डिसिप्लिन में रहकर अपने रीति-रिवाज, कस्टमरी को मानना और उसके दायरे से एक दिन भी बाहर नहीं जाना, यह ट्राइबल का कस्टमरी लॉ है।

महोदय, इसलिए मैं आप लोगों से यह निवेदन करना चाहूंगी कि असम के टी-ट्राइब्ज को ट्राइबल का हक देने में शायद ज्यादा राजकोषीय खर्चा नहीं होगा, चाहे राज्य सरकार का हो या केन्द्र सरकार का हो। हो सकता है कि देश में कुछ जगहों पर ट्राइबल्स के लिए जो टीआरडब्लू स्कूल खोल रहे हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड है वह उनके लिए दे रहे हैं, जो व्यावसायिक लैंड है वह सबसिडी के तहत उनको दे रहे हैं या कुछ प्रावधान उनके लिए देश में वेलफेयर डिपार्टमेंट, रूरल डिवलपमेंट डिपार्टमेंट में हैं, वह थोड़ा बहुत उनके लिए हो सकता है। जो सोशियो-इकोनोमिक डवलपमेंट उनका होना है, असम टी-ट्राइब्ज के डिवलपमेंट की जहां तक बात है, जितना होना है, वह हो चुका है, उनको ज्यादा डवलपमेंट, मेरे हिसाब से तो, करने का नहीं होगा। मैं यह कहना चाहती हूँ सबसे तकलीफ और सेंटीमेंटल चीज, जब हम लोगों को भी वे लोग मिलते हैं, कोई वाइदादा होते हैं जरूर, रिश्तेदार कोई गांव से गया होगा, कोई न कोई जिले से गया होगा, तो उन लोगों को ट्राइब सर्टिफिकेट तक भी नहीं मिलता है, उधर बैकवर्ड क्लास का तो सर्टिफिकेट कोई होता नहीं है, और वे लोग अपने आपको कहते हैं कि हम टी-ट्राइब्स हैं। उड़ीसा, बंगाल और अनडिवाइडेड बिहार से जब वापस आते हैं, तो शादी करते हैं ट्राइबल के घर में, लड़कियां देते हैं ट्राइबल के घर में, उधर जाकर देखते हैं तो वे ट्राइबल नहीं हैं। इसलिए वे आपसे अपना आइडेंटिटी मांग रहे हैं, वे लोग डिवलपमेंट भी नहीं मांग रहे हैं, ज्यादा सोशियो-इकोनोमिक डिवलपमेंट भी नहीं मांग रहे हैं। उन लोगों को आइडेंटिफिकेशन देने से कल को डिमांड अधिकार के नाते बहुत कुछ मांग लेंगे, वह बात भी साहब, मेरे ख्याल से, नहीं है। इसलिए मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगी कि यह जो लंबे समय से पैंडिंग बिल है, जो प्राइवेट मैम्बर्स बिल के नाते बार-बार आ रहा है, इसके लिए एक सोल्यूशन निकालने के लिए सरकार को एक अमेंडमेंट लाना चाहिए और उन लोगों को ट्राइबल घोषित करने में मदद करनी चाहिए। यही मांग रखते हुए मैं इस बिल का पुनः समर्थन करती हूँ। धन्यवाद।

श्री विजय कुमार रूपाणी: उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस अमेंडमेंट बिल, जो आर्टिकलस 341 और 342 के संशोधन के लिए है, इसका हम समर्थन

करते हैं और हम यह मानते भी हैं कि असम के ये जो ट्राइबल्स हैं, उनको यह दर्जा दिया जाए। इस पर सदन की कोई असहमति नहीं है, सभी पोलिटिकल पार्टीज और हम सब लोग सहमत हैं कि पूरा सदन इसका समर्थन करता है, फिर भी हम देखते हैं कि एक छोटी सी बात में बहुत बड़ी बहस हो गई है। जब इस प्राइवेट बिल पर यह बहस चली है, तो पूरा रिजर्वेशन का मामला यहां चर्चा में आ गया है। जिस सदस्य ने, जिन दोनों सदस्यों ने यह मामला उठाया था, वे तो फ्लाइट में चले गए, लेकिन उनके आधार पर यह चर्चा बहुत वैसे ही चल गई, जो इस बिल के संदर्भ में भी नहीं थी। फ़िर भी स्पष्टीकरण के नाते मैं हमारी नीतियों की बात कर रहा हूं। यह जो मुस्लिम शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स और क्रिश्चियन शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिजर्वेशन की बात हुई, तो सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें सदन में मज़हब के आधार पर, राजनीति या वोट बैंक के आधार पर नहीं सोचना चाहिए। कांस्टिट्यूशन में डा॰ अम्बेडकर और पूज्य महात्मा गांधी जी का हमें मार्गदर्शन मिला था और उन्होंने ही यह जेहाद जगाई थी कि पूरे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स आम राष्ट्रीय प्रवाह में अन्य जातियों के समान आ जाएं। इसलिए हमने शब्द प्रयोग किया कि इक्नॉमिकल और सोशल बैकवर्ड, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि जो पिछड़े हुए हैं, जो पीछे हैं और देश के सामान्य प्रवाह के साथ नहीं हैं, उनको उस प्रवाह के साथ जोड़ने के लिए ये नीतियां बनाई गईं। जब चर्चा चली और दलित रिजर्वेशन की जब बात चली, दलित का मतलब क्या है? मैं अपने लर्नेड मित्रों की जब बात सुन रहा था तो मुझे दुख हो रहा था, वे खुद कह रहे थे कि तीन प्रकार के हमारे मुसलमान हैं— जो बाहर से आए, जो यहां के थे और जो पिछड़े हुए थे। यानी जो बाहर से आए, वे आज भी हैं, फिर भी हम मानते हैं कि वे इस देश के नागरिक हैं और हर नागरिक का जिस तरह से इस देश में सम्मान है, उनके साथ भी वैसा ही सम्मान होना चाहिए। 20 करोड़ मुस्लिम हैं, वे भी हमारे भाई हैं। हम बिन साम्प्रदायिकता की जो बात करते हैं, उसमें हम अलग इसलिए हैं कि हम मानते हैं कि सर्वधर्म समभाव, नो अपीज़मेंट, यानी हर धर्म का अच्छी तरह से सम्मान होना चाहिए, अपीज़मेंट की बात नहीं होनी चाहिए, वोट बैंक की बात नहीं होनी चाहिए। तो अपीज़मेंट नहीं करना है, सर्वधर्म समभाव करना है। उन्होंने बताया कि हमारे यहां मुस्लिम पिछड़े हुए हैं, उनको भी रिज़र्वेशन देना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में जो रूलिंग दिया, ओनली फाइव परसेंट रिज़र्वेशन, हाई कोर्ट ने दो बार उसको निकाल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे नहीं दिया। संविधान में जो बात लिखी है, उसके खिलाफ की बात है, यह इस्टेब्लिश हुई। हम मानते हैं कि उसमें भी इक्नॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। हम मानते हैं कि सोशयली जो चेंज होना चाहिए, अगर नहीं होगा और हमारी सोच नहीं बदलेगी तो हमारे राष्ट्र का विकास भी नहीं होगा। इसके लिए हमारी NDA सरकार के समय भी हमने बहुत सारे कदम उठाए थे और आज भी हम अच्छे कदमों का समर्थन करते हैं। हम मुसलमानों के, क्रिश्चियन्स के खिलाफ नहीं हैं, हम प्रो हिन्दू हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन हिन्दू धर्म में जो *समाज है, *समाज है, जब उनका और इनका कम्पेरिज़न होता है तो हमें

* Expunged as ordered by the Chair

दुख होता है। हम यह कहते हैं कि पिछले कई सालों, सैंकड़ों सालों तक हमने अपने दलित बंधुओं के साथ अन्याय किया, हमने उनको पानी नहीं पिलाया, उनका हमने पानी नहीं पीया, उनके साथ मानवीय व्यवहार नहीं हुआ और इसी के आधार पर महात्मा गांधी ने *कष्ट मुक्ति नामक आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी ने सब दलितों को, *को आम समाज में, राष्ट्रीय प्रवाह में लाने के लिए जो आंदोलन किया, उसका हमने समर्थन किया, अनटचेबल एक्ट भी हम लाए, हमने ऐट्रोसिटी भी यहां दाखिल की। आज मैं पूछना चाहता हूं कि क्या क्रिश्चियन में अनटचेब्लिटी है, क्या मुस्लिम्स में अनटचेब्लिटी है? इसके आधार पर हम दलित की व्याख्या करें। अगर अनटचेब्लिटी है, तो नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें सोचना चाहिए, हमें ठोस कदम और कानून बनाने चाहिए, हम सम्मत हैं। लेकिन हिन्दू समाज में दुर्भाग्य से अनटचेब्लिटी, यानी कि मानव का मानव के साथ दुर्व्यवहार, हम करते थे, जिसके कारण दलित की व्याख्या यहां से शुरू हुई और इसके आधार पर ही हमने शेड्यूल्ड कास्ट को रिज़र्वेशन दिया, संविधान में उन्हें स्पैशल प्रोटेकशन दिया और इसीलिए इस रिज़र्वेशन के आधार पर हम इन दोनों को फेसिलिटीज़ देना चाहते हैं। आज क्या झगड़ा चल रहा है? हर जाति स्वयं को शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जोड़ने के लिए प्रयत्न कर रही है। यह हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। आज हमें आज़ादी मिले 60 वर्ष होने वाले हैं, लेकिन इन साठ वर्षों में जैसा हमने सोचा था, वह नहीं हुआ। जब हमने संविधान बनाया था, तब भी हमने यही सोचा था कि जल्दी ही यह देश एक हो जाएगा और सभी लोग राष्ट्रीय प्रवाह में आ जाएंगे और बाद में रिज़र्वेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आज हम रिज़र्वेशन ऐक्सटेंड करते चले जा रहे हैं और इसकी मात्रा को भी इतना ऐक्सटेंड कर रहे हैं, ऐसे में कितनी ऐसी जाति बचेंगी, जिनको रिज़र्वेशन नहीं मिला होगा। ऐसी जातियां भी अब कम हो रही हैं। यह मुस्लिम रिज़र्वेशन या क्रिश्चियन रिज़र्वेशन का झगड़ा भी तो वही है, वे शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स में इसलिए जाना चाहते हैं कि उन्हें रिज़र्वेशन और फैसिलिटीज़ चाहिएं। यह ठीक बात नहीं है। यदि ऐसा ही होता रहा तो सरकार चाहे कोई भी हो, पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन हम इस देश को नहीं बचा सकेंगे।

मैं मानता हूं कि यहां पर दस करोड़ ट्राइब्स हैं, आज 533 जातियां शेड्यूल्ड ट्राइब्स में हैं और उनमें भी ऐसी बहुत सारी पिछड़ी हुई जातियां हैं, जिन्हें हम आज भी आम राष्ट्रीय प्रवाह में नहीं ला सके हैं। पिछले साठ वर्षों में हमने उन्हें कितने ही राइट्स दिए, फिर भी आज तक हम उन्हें राष्ट्रीय प्रवाह में नहीं ला सके। सभी सदस्यों से मेरा विनम्र निवेदन है कि हम इस प्रश्न को इकोनॉमिकल बैकवर्ड, अभी अलग-अलग जातियों, मौला इत्यादि की बात बताई गई। आज भी क्रिश्चियन एवं मुस्लिम जातियों के बारे में बात आती है, तो हम कहते हैं कि उनके लिए सोचना चाहिए। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वे शेड्यूल्ड कास्ट हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे शेडयूल्ड ट्राइब्स हैं, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्डट्राइब्स में अनटचेबिलिटी थी, इसीलिए उनको ये राइट्स दिए गए थे इसी आधार पर यह रिज़र्वेशन का फॉर्मूला बना हुआ है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है।

* Expunged as ordered by the Chair

इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि इस बिल में हम जो चर्चा कर रहे हैं, यहां पर मुस्लिम, हिन्दु या क्रिश्चियन की बात नहीं है।

कन्वर्ज़न कहां से आया? शेड्यूल्ड ट्राइब्स में इतना कन्वर्ज़न है, आज हम इसके लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? जब हम "सर्व धर्म समभाव" की बात करते हैं, आम जनता किसी भी धर्म को अंगीकार करे, यह हमारे लिए चिंता की बात नहीं है, लेकिन सिर्फ लालच के आधार पर, उनको धनराशि देकर, लोभ-प्रलोभन देकर या प्रपंच के माध्यम से जो धर्म परिवर्तन होता है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। यह हमारी बदनसीबी है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स में ही धर्म परिवर्तन सबसे ज्यादा होता है।

अभी मेरी बहन ने बताया, हम मानते हैं कि हिन्दु धर्म सहिष्णु है, इसीलिए हम वन की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, पशु की पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं और यह हिन्दू धर्म की खासियत है। हमारे ट्राइबल्स भी यह करें ताकि हमारा कल्चर बचे, इस कल्चर का पूरा संरक्षण हो, इसलिए हम यह रिज़र्वेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट ...(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Mr. Rupani, if you take more time ... *(Interruptions)*...

श्री विजय कुमार रूपाणी: सर, सब लोगों ने जितना बोला है, उनसे तो मैं कम ही बोल रहा हूं ...(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, listen to me. ...*(Interruptions)*... Please listen to me. ...*(Interruptions)*...

श्री विजय कुमार रूपाणी: अच्छा मैं बात पूरी कर रहा हूं ...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन) : आप जरा सुनिए ...(व्यवधान)... Please listen to me first. ...*(Interruptions)*... Please listen, if you take more time, Shrimati Sushma Swaraj will not be able to move her Bill. I am telling you this thing. Now, for the sake of your leader, I am saying it. So you please conclude.

श्री विजय कुमार रूपाणी: ठीक है, सर मैं बिल का समर्थन करता हूं और इसके लिए हमारा पूरा समर्थन है।

MS. PRAMILA BOHIDAR (Orissa): Sir I wholeheartedly support this Bill. Articles 341 and 342 require amendment to make it more broad-based and inclusive. I am from Orissa and I understand the historical fact

that migrant labourers used to go to Assam, Bengal and other parts of North-East to work in tea gardens at the early stages of tea industry. My part of Orissa has the maximum number of Scheduled Tribes and Scheduled Castes, what we now call the KBK Districts. The labour force migrated from there. They have the same title, the same clutural and social system, but they do not enjoy equal privileges and rights. This amounts to injustic. One can charge one's name through an affidavit, but a person cannot change his caste through an affidavit. These tea-garden workers, who migrated from Orissa, Jharkhand, Bihar and other States to West Bengal about 150 years ago, have retained their caste status. It is difficult to understand why they are not treated in the same manner in Assam.

Sir, with this amendment to Articles 341 and 342, this disparity among States in maintaining uniformity regarding Scheduled Castes and Scheduled Tribes could be resolved. I would request this august House to adopt the amendment. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Thank you, Shrimati Bohidar. Now, would the hon. Minister like to make an intervention or reply? ... *(interruptions)*...

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MEIRA KUMAR): Hon, Vice-Chairman Sir, hon. Shri Silvius Condpan has brought forward a Constitutional Amendment Bill for addition of a proviso to Article 341 of the Constitution that the Castes, races or tribes or parts or groups within the castes, races or tribes, so specified by the President for a particular State or Union Territory, shall have the same status throughout the country, that is to say, a Scheduled Caste of one State shall be Scheduled Caste for the entire country, and also, addition of similar proviso to Article 342 of the Constitution of India.

We have had a long discussion on this subject, rather heated at times, for three dyas, There have been twenty participants; the last two participants where in a hurry, so they said, they supported it, rather briefly. Apart from expressing their views on the specific matter raised by hon. Shri Condpan,

Hon'ble members have covered a very wide gamut of all the interests and concerns, showing their sensitivity for SCs and STs. I don't need to say that SCs and STs have suffered untold misery, plight, injustice, discrimination and atrocities from times immemorial. In the past, there were several attempts to undo this injustice, but nothing really succeeded to a notable extent. During the Freedom Movement by Mahatma Gandhi and other leaders of the Congress Party, serious attempts were made to improve the condition of the SCs and STs, and after Independence, when the Constitution was being framed, there were provisions made in the Constitution to this effect. There were reservations provided for SCs and STs in employment, in educational institutions and also politically. Reservation for SCs was provided on 18th August, 1950 and thereafter for STs on 26th September, 1950. There was a list drawn up in the Constitution for SCs which had 938 castes and for STs which had 244 tribes. Now, I come to the particular question of granting ST status to Koch Rajbangshi, Tai, Ahom, Chutia, Moran, Matak, communities of tea garden and ex-tea garden tribes. There was a Resolution passed by Assam Assembly on 5th August, 2004 and sent to the Ministry of Tribal Affairs for granting ST status to these eight communities, which I have just mentioned. I must clarify that the Ministry of Social Justice and Empowerment deals with the Scheduled Castes and the Ministry of Tribal Affairs deals with the Tribals. Anyhow, I will be speaking on behalf of the Ministry of Tribal Affairs. First of all, I am sure everybody is aware, even then I would like to emphasise upon the modalities of granting SC/ST status to any community. First the States have to send their recommendations and ethnographic details to the Ministry concerned. Here in this case, the Ministry concerned was the Ministry of Tribal Affairs. The recommendations comes to the Ministry of Tribal Affairs with the ethnographic details and then the Ministry sends it to the RGI. Once the RGI given its approval, then it goes to either the National Commission for Scheduled Castes or the National Commission for Schduled Tribes. Then it goes to the Cabinet. If they give their approval, then it comes to the Parliament for the Constitutional amendment. This is the modality. In this case, after the State Assembly had passed the Resolution, it referred the matter to the Ministry of Tribal Affairs which referred it to the RGI. I would like to bring to your notice what the RGI had

to say in this matter. Before I do that, I am sure all the hon. Members are aware, even then I would like to draw their attention as to how exactly the STs and SCs are included in the list. What are the criteria? In the case of STs, it is primitive trait, distinct culture, geographical isolation, shyness of contact and backwardness. These are five criteria. In case of SCs, it is extreme social, educational, economic backwardness arising out of untouchability. Untouchability is the main consideration.

Now, I would like to give you the factual position so far as the comments of RGI regarding these eight communities are concerned. The first community is Koch Rajbangshi. Now, this is what the RGI has said. The RGI has stated that it has furnished its comments seven times, that is, in the year 1981, 1992, 1995, 1997, 2000, 2003, and 2005. RGI has not supported the proposal for the inclusion in the year 2003 and reiterated its comment in the year 2005. The RGI has rejected the proposal. In case of Tai, Ahom, Chutia, Moran and Matak, the RGI has stated that they have furnished their comments four times, that is, in the year 1982, 1995, 1997 and 2005.The RGI has not supported the proposal in the year 1995 and reiterated its comment in the year 2005. So far as tea and ex-tea garden tribes are concerned, the RGI has stated that they have furnished their comments four times — in the year 1978, 1981, 1995 and 2005. The RGI has not supported the proposal. And, the reason that they have given is that this has been done mechanically. On the recommendations which have come from Assam, the RGI has made an observation that this has been done mechanically without giving due consideration to ethnographic details and concluding in the end of a discussion, the community deserves to be included in the Scheduled Tribe list. In regard to 97 communities, which are clubbed under one caption of tea tribes, the State Government has itself stated in its latest report that they do not have primitive traits and that they are not geographically isolated. In regard to the communities of Koch Rajbangshi, Tai Ahom, Mataks, Moran, and Chutia, the study report of the year 2005 furnished by the Government of Assam is shorter version of earlier elaborated report submitted in 1994. No additional ethnographic information or justification has been provided by the State Government to re-examine once again. Their proposals have been rejected by RGI. So, the matter rests there.

Now, I have great reverence for the Fathers of the Constitution. I must compliment the framers of the Constitution that they have made the modalities of inclusion and exclusion of various castes and tribes in the SC and ST list in the Constitution strict enough to ensure that only those who are really deserving, are entered into it. Yet, they have also made sure that it is not so strict and complicated that those who are deserving, are not included in it. In 1950, in the SC list, we had 938 castes and presently, we have 1206 castes. So, it is not that the new castes have not been added. At the same time, they are very careful in scrutinizing and ensuring that only those who are deserving get entered.

Similarly, in 1950, there were 244 Tribes but now in the list, there are 706 Tribes. So, this is how the Constitution operates. Besides, in 2002, Parliament enacted 3 Acts and 18 new Communities and 43 synonymous Communities, which actually meant 61 Communities, were included in the list of Scheduled Caste. This is just to give a picture of how the inclusion is done.

Now, coming to the crucial part of the Bill, which has been brought by Shri Silvius Condpan, that the SCs/STs are State specific, UT specific and area specific.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Meiraji, how many more minutes will you take?

SHRIMATI MEIRA KUMAR: Well, I have to take some time because there has been such a heated debate.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): I am just asking because... (*Interruptions*)...

SHRIMATI MEIRA KUMAR: I will take some time. (*Interruptions*). I can continue next time. I cannot hurry...(*Interruptions*). I won't be answering everything. (*Interruptions*) I can answer next time. I have no problem.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): There are two more minutes. (*Interruptions*).

SHRI S. S. AHLUWALIA (Jharkhand): But if she wants to spend another twenty minutes, let us continue. (*Interruptions*) She may continue.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): You continue for two more minutes. After that, you can continue next time.

SHRIMATI MEIRA KUMAR: I can do that. So, the Constitution provides that SCs/STs are State specific, UT specific and area specific. This is article 341 and article 342, which the hon. Member wants to be amended. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Reply will continue till next time. You can continue.

SHRIMATI MEIRA KUMAR: Sir, the hon. Member of Parliament wants that the SCs/STs should not be State specific, UT specific or area specific but should be uniform for the entire country. This is what he wants. Sir, India is a vast country with a very complex social structure. We have so many regions; we have so many States, Union Territories and in the entire country, we have this very dubious system called the Caste System. Earlier, it was confined to one religion. Historically, this Caste system is confined to Hindu religion. Subsequently, some religions came which were reformist religions. Sikhism was a great reformist religion, which talked of equality. Buddhism was a great reformist religion, which talked of equality.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Meiraji, you can continue the reply on the next day allotted to the Private Members' Legislative Business which is 25th August, 2006.

SHRIMATI MEIRA KUMAR: Okay.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): The House is adjourned till 11.00 a.m. on Monday, the 14th August, 2006.

The House then adjourned at one minute past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 14th August, 2006.

MGIPMRND—3905RS—07-03-2007.